न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/82/2006/हनुमागढ़

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

...अपीलान्ट्

बनाम

1– इन्द्राज)
2– लालचन्द) पिसरान जवाहारा
3– महेन्द्रसिंह)
4– सुभाष)
5– सुरेन्द्र)
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम मन्सुरी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

...रेस्पोन्डेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री महेन्द्र कुमार पारख, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थितः–
श्रीमती पूनम माथुर, अभिभाषक अपीलान्ट् की ओर से ।
प्रत्यर्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

———

दिनांकः02–02–2021

निर्णय

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20–8–2005 जो की न्यायालय भू राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा अपील संख्या 130/2003 में पारित किया गया है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी/रेस्पोन्डेन्ट् ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, भादरा में दिनांक 20–5–1999 को एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत घोषणा का प्रस्तुत कर निवेदन किया ग्राम मुन्सरी की रोही के खसरा नम्बर 268 की 6.083 हैक्टर भूमि सम्वत् 2011 से निरन्तर उसके कब्जे काश्त एवं गैर खातेदारी में चली आ रही है अतः खातेदार घोषित किया जावे। उक्त विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भादरा द्वारा अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27–11–2002 से स्वीकार कर वाद वादी डिक्री कर दिया, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट/प्रतिवादी राज्य

सरकार द्वारा प्रथम अपील अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष प्रस्तुत की जिन्होंने अपने आक्षेपित निर्णय दिनांक 20–6–2005 से अपील खारिज कर दी जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– हमने पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

4– विद्वान अति. राजकीय अभिभाषक ने अपील मीमो में वर्णित कथनों को दौहराते हुए कथन किया कि वादी विवादित आराजी पर अतिक्रमी के रूप में काबिज था तथा अतिक्रमी उद्घोषणा का वाद नहीं ला सकता है। इस सम्बन्ध में राजस्व मण्डल की वृह्द पीठ ने भी अपने निर्णय में यह प्रतिपादित किया है कि अतिक्रमी को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त विधिक स्थिति को नजरअंदाज करते हुए जो निर्णय पारित किये है वे निरस्त किये जाने योग्य है। उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजी बाबत वादी/रेस्पोन्डेन्ट ने खसरा मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया था जिससे यह साबित होता हो कि साबिक खसरा संख्या 475 व 478 से नवीन खसरा नम्बर 268 निर्मित किया गया है। उनका यह भी कथन है कि वादी/रेस्पोन्डेन्ट विचारण न्यायालय के समक्ष सिद्ध करने में असफल रहा है कि उसका विवादित आराजी पर कब्जा निर्बाध रूप से 30 से अधिक वर्षो से रहा है फिर भी अधीनस्थ न्यायालयों ने वाद वादी स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अति. राजकीय अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय ने उनके समक्ष प्रथम अपील मियाद बाहर मानकर निरस्त कर दी साथ ही अपील को गुणावगुण पर भी निर्णित कर दी जबकि यदि अपील मियाद बाधित थी तो उसे गुणावगुण पर निर्णित नहीं किया जा सकता है। अंत में अति. राजकीय अभिभाषक ने अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5– प्रत्यर्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

6– अति. राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया।

7– इस प्रकरण में विवादित आराजी विचारण न्यायालय में वादीगण के पिता के नाम वर्ष 1970 में नियमन की गई तथा भूमि गैर खातेदारी में दर्ज रही। सामान्यतः भूमि के कृषि उपयोग के आधार पर गैर खातेदार को 10 वर्षो बाद खातेदार अधिकार प्राप्त हो जाते है किन्तु इस प्रकरण में साबिक खसरा

नम्बर 475 व 478 से हाल खसरा नम्बर 268 कायम किये जाने संबंधी कोई दस्तावेज विचारण न्यायालय की पत्रावली में भी नहीं है न ही अपीलीय न्यायालय के सम्मुख ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। विवादित भूमि सिवाय चक भूमि होना प्रकट किया गया है। अपीलीय न्यायालय ने मियाद बिन्दु पर अपील खारिज की है। जबकि अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में संतोषजनक कारण अंकित किये है जिनके आधार पर नरम रूख रखते हुए अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाना चाहिए था तथा प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना चाहिए था।

8— उपरोक्त विवेचन के आधार पर राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20—6—2005 एवं सहायक कलक्टर, भादरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27—11—2002 निरस्त किये जाकर प्रकरण सहायक कलक्टर, भादरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय सुनाया गया।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(महेन्द्र कुमार पारख)
सदस्य